

(राजस्व वाद संख्या :- 118/2014 अनवान राजेन्द्र गुप्ता बनाम देवन्द्र कुमार)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी :- सौरभ स्वामी आई.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 118/2014

1. राजेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री रामकुमार जाति अग्रवाल निवासी 13 सी श्रीराम कालोनी
श्रीगंगानगर।
-- वादी

--:: बनाम ::--

1. देवेन्द्र कुमार पुत्र धर्मपाल जाति अग्रवाल निवासी एफ 79 रामपथ श्यामनगर जयपुर।
2. रेखा पत्नी श्री चमनलाल जाति अग्रवाल निवासी 79 रामपथ श्यामनगर जयपुर।
3. उप पंजीयक श्रीगंगानगर

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, 92ए आर.टी.ए. बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

--:: उपस्थित अभिभाषकगण ::--

1. श्री औम प्रकाश बत्तरा अधिवक्ता वादी

--:: निर्णय ::--

दिनांक :- 07.01.2019

वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 5 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 75/68 मुर्ब्बा नम्बर 32 का 25 बीघा रकबा हरीराम पुत्र भूराराम नाई चोखाराम पुत्र रामचन्द्र, गणेशाराम पुत्र रामचन्द्र भगवानाराम पुत्र रामचन्द्र, गोपीराम पुत्र रामचन्द्र कुम्हार तथा गंगाराम पुत्र मन्शाराम केसराराम पुत्र खेताराम रामस्वरूप पुत्र साहबराम ताराचन्द्र पुत्र मोहनराम रामलाल, लच्छीराम पिसरान कानाराम बृजलाल हरफूल हनुमान प्रसाद व तारचन्द्र, अमृतपाल साकिन साबुआना अजय कुमार पुत्र विद्यासागर अग्रवाल के नाम से व सीतादेवी पत्नि भगवान दास के नाम से दर्ज कागजात राज था जमाबन्दी सम्वत् 2059 की नकल शामिल है, इसमें खाना नम्बर 4 में उक्त व्यक्तियों के नाम से हिस्सा अनुसार दर्ज है।

भगवानाराम नें अपने 8-3/8 हिस्सा व गोपीराम नें अपना 8-3/8 हिस्सा जो खातेदारी दर्ज था का बेचान प्रतिवादीगण 1-2 को कर दिया गया तथा प्रतिवादीगण 1-2 के नाम रकबा इन्तकाल नम्बर 213 दिनांक 05.02.1998 को दर्ज हो गया जमाबन्दी 2059 के खाना नम्बर 11-12 में इनके नामसे खातेदारी दर्ज है जमाबन्दी की नकल शामिल है।

प्रतिवादीगण 1-2 के द्वारा अपने उक्त रकबा को दिनांक 02.06.2014 को दिनेश गुप्ता व शिवदयाल गुप्ता को विक्रय कर दिया गया इकरारनामा की नकल शामिल है तथा इससे वादी नें उक्त रकबा मौखिक तौर से क्रय कर लिया गया तथा कब्जा वादी का चला आ रहा है।

उक्त रकबा शहर के नजदीक होने के कारण नगर विकास न्यास के कथित ट्रान्सपोर्ट नगर के लिये अवाप्त करने का गलत तौर से अवाप्ती का दिखलाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से दर्ज करवा लिया जब कि मौकेपर वास्तव में खातेदार ही काबिज है तथा वादी भी काबिज चला आ रहा है।

अब प्रतिवादीगण 1-2 के मन में गलत लालच आ गया है क्योंकि यह जगह कीमती होने तथा राजस्व रिकार्ड में उनके नाम से उक्त जमाबन्दी में दर्ज होने के कारण जब वह इस भूमि को मुन्तकित करने की कोशिश में है। तथा इसके लिये वह लोगों को ना केवल जमीन दिखाने लग गये है बल्कि बातचित भी करने लग गये है तथा आजकल में ही पूर्व जमाबन्दी में नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर मुन्तकिल करने बैयनामा करवाने की कोशिश में

लगातार 2

अगर वह उक्त भूमि को किसी अन्य को मुन्तकिल करते है, तो वादी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा अतः वह दावा लाने तथा डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हर प्रकार से अधिकारी है क्योंकि वादी रकबा का हकदार है।

वादी को इस बारे में पता चलने पर उसने प्रतिवादीगण को बार बार आग्रह किया कि चक 5 ई छोटी तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 75/68 वर्तमान खाता संख्या 175/111 के 25.00 बीघा में से प्रतिवादीगण 1-2 के नाम से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य तरिके से मुन्तकिल करने व प्रतिवादी संख्या 3 बैयनामा तस्दीक करने व वादीगण को किसी प्रकार से बेदखल करने से बाज व ममनू रहे मगर वह टाल मटोल करते हुए दिनांक 12.10.214 को साफ इन्कारी है अतःयही बिनाय मुखस्मत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

क्योंकि रकबा प्रतिवादीगण संख्या 1-2 के नाम से ही दर्ज था अतः अब मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 16, 17, 18 कुल 3.00 बीघा जबकि अब वादी इस पर काबिज है। को मुन्तकिल करने की कोशिश में है। अतः दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद वादी पेश कर अर्ज है, कि दावा वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री सादिर किया जावे :-

(क) डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावे कि प्रतिवादीगण चक 5 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 75/68 वर्तमान खाता संख्या 175/111 मुरब्बा नम्बर 25 की भूमि मे से वादी के कब्जा कास्त की मुरब्बा नम्बर 32 के किला नम्बर 16 ता 18 को किसी को रहन बैय मुन्तकित करने वादी के कब्जा कास्त उपयोग उपभोग में मदाखलत स्वयं अथवा अन्य के माध्यम से करने बेदखल करने करवाने से बाज व ममनू रहे।

(ख) खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो कि वादी के हित में हो वह भी प्रदान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा जरिये अधिवक्ता जबाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। इस मद में वर्णित हरीराम वगैरा के नाम से भूखण्ड करने का जो लेख किया गया है वह स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि वर्तमान जमाबंदी में उक्त रकबा नगर विकास न्यास के नाम से दर्ज है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने दिनांक 02.06.2014 को अपने खरीदशुदा भूखण्डों को दिनेश गुप्ता व शिवदयाल गुप्ता को विक्रय करने का इकरारनामा किया था जैसा कि संलग्न इकरारनामा की प्रति में वर्णित है। उससे पता चलता है कि दिनेश गुप्ता व शिवदयाल गुप्ता ने विवादित भूखण्डों को खरीद करने का सौदा किया है। जिसका इकरारनामा भी लिखा गया है। शिवदयाल गुप्ता व दिनेश गुप्ता के द्वारा इकरारनामा की शर्तों का पालन न किए जाने के कारण इकरारनामा में दी हुई साई जब्त कर ली गयी है क्योंकि दिनेश गुप्ता व शिवदयाल गुप्ता ने इकरारनामा के मुताबिक नियत दिनांक को शेष राशि न देकर विवादित भूखण्डों का पंजीकरण अपने नाम नहीं कराया और इकरारनामा की शर्तों का उल्लंघन होने के कारण दी गयी साई की राशि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा जब्त कर ली गयी है। इसी मद में वादी के द्वारा मौखिक तौर से भूखण्डों को क्रय करना बताया है जो गलत है। दिनेश गुप्ता व शिवदयाल गुप्ता को उक्त विवादित भूखण्डों को बेचान करने का कोई भी अधिकार व हक प्राप्त नहीं था। इकरारनामा साई से इन भूखण्डों को विक्रय करने का इन्हें

लगातार 3

कोई भी अधिकार व हक प्राप्त नहीं हुआ है। वादी के द्वारा भी मौखिक तौर पर उक्त भूखण्डों को क्रय करना स्वीकार नहीं है क्योंकि जब दिनेश गुप्ता व शिवदयाल गुप्ता को इन भूखण्डों पर किसी भी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

जमाबन्दी के अनुसार रकबा नगर विकास न्यास के नाम से दर्ज किये जाने के तथ्य स्वीकार है प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं आया है बल्कि जमीनों के भाव कम होने के कारण दिनेश गुप्ता व शिवदयाल गुप्ता ने साईपेटे के अलावा शेष राशि की व्यवस्था न होने के कारण विवादित भूखण्ड का पंजीकरण अपने नाम से नहीं करवाया है और जिस कारण दी हुई साई की रकम जब्त कर ली गयी है। इकरारनामा की शर्तों के मुताबिक रजिस्ट्री करवाने का समय भी निकल चुका है। अब प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 पर नाजायज दबाव बनाने के लिए वादी से यह झूठा दावा करवाया गया है। प्रतिवादीगण को उक्त भूखण्डों को बेचान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था

उक्त भूखण्ड प्रतिवादीगण के नाम से ही दर्ज थे तथा मुरब्बा नंबर 32 के किला नंबर 16, 17 व 18 कुल 3 बीघा पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण का कब्जा है तथा न ही कब्जा रहा है बल्कि प्रतिवादीगण का शुरु से ही कब्जा रहा है और आज भी है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाब दावा में अतिरिक्त कथन का अंकन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद गलत व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित कर प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। वादी को दावा लाने का किसी भी प्रकार का कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। जो अचल संपत्ति वादी द्वारा खरीद करना बताई गई है वह मौखिक रूप से खरीद किया जाना बताया है जो खिलाफ कानून है। वादी में अपने वाद में यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त विवादित भूमि किससे कब व कितने रूपयों में खरीद की न ही खरीद करने के संबंध में कोई लिखित दस्तावेज पेश किए हैं। अतः लिखित दस्तावेज पेश न करने के कारण वादी के द्वारा दर्ज कथन विश्वसनीय नहीं है वाद इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

वाद पत्र का मुलायजा करने से प्रतीत होता है कि वादी को उक्त वाद लाने का कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188, व 92 ए के अंतर्गत वाद लाने के लिए वाद विवादित भूखण्डों पर कब्जा होना जरूरी है तथा जमाबंदी में खातेदार काश्तकार और संयुक्त खातेदार होना भी आवश्यक है लेकिन वादी किसी भी तरह भूमि का खातेदार व काश्तकार नहीं है न ही उक्त रकबा पर वर्तमान में उसका कब्जा है न ही वादी को वाद लाने के संबंध में वादकारण प्राप्त हुआ है। वह प्रक्रिया संहिता में दावा लाने के लिए वाद हेतुक का होना आवश्यक है बिना वाद हेतुक वाद का लाया जाना वर्जित है।

उक्त भूखण्ड शहरी भूमि के नजदीक होने के कारण नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के द्वारा अधिग्रहण कर लिए गए हैं। जमाबंदी में विवादित रकबा नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज हो चुका है तथा वादी ने अपने दावा में भी इस बात को स्वीकार किया है। वादी के द्वारा नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर को इस वाद का आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया है तथा न ही दिनेश गुप्ता व शिवदयाल गुप्ता को पक्षकार बनाया है जो कि वाद के निस्तारण के लिए आवश्यक पक्षकार थे। आवश्यक पक्षकार न बनाए जाने के कारण दावा इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है। यह कि वक 5 ई छोटी के मुरब्बा नंबर 32 के किला नंबर 16, 17 व 18 में विक्रीत किए गए भूखण्डों पर सत्यम कंप्यूटर धर्मकांटा लगा हुआ है तथा किला नंबर 17 व 18 में इंटरलॉकिंग पोल व कूलर बनाने की फैक्ट्रियां लगी हुई है, बिजली के कनेक्शन व भूमि रूपान्तरण भी लगातार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

हुआ है। बिजली के विल व भूमि रूपान्तरण की फीस जमा के चालान की प्रति पेश है। इस कारण से भी उक्त रकवा किसी भी तरह से कृषि भूमि नहीं है। कृषि भूमि न होने के कारण श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार का न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

वादी के द्वारा उक्त भूखण्डों को क्रय करना बताया गया है जो कि गलत है। प्रतिवादीगण ने उक्त भूखण्डों को दिनेश कुमार व शिवदयाल गुप्ता को जरिए इकरारनामा दिनांक 02.06.2014 को विक्रय कर चालीस लाख रूपए साईं पेटे प्राप्त किए थे। मंदी आ जाने के कारण दिनेश कुमार व शिवदयाल गुप्ता ने शेष राशि न देकर विक्रय पत्र अपने नाम से पंजीकरण नहीं करवाए। प्रतिवादीगण पर नाजायज दबाव डालने के लिए वादी राजेन्द्र कुमार की तरफ से यह दावा पेश किया गया है। दावा को देखने से पता चलता है, कि उक्त दावा विक्रय पत्र व इकरारनामा से संबंधित होने के कारण उसकी सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय में निहित है। उक्त प्रकरण सिविल प्रकृति का होने के कारण श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं हैं क्योंकि उक्त प्रकरण का विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। इसलिए इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

वादी व प्रतिवादीगण की आपस में कोई भी जान पहचान नहीं है। न ही वादी ने प्रतिवादीगण से कोई भूखण्ड खरीद किए हैं न ही किसी भूखण्डों का कब्जा प्राप्त किया है तथा न ही वादी ने भूखण्डों को खरीद करने का दस्तावेज पेश किया है न ही वादी ने इकरारनामा या विक्रयपत्र करते समय शिवदयाल गुप्ता व खरीददार से कोई कब्जा प्राप्त किया था तथा न ही इकरारनामा में कब्जा देने का उल्लेख किया है।

स्टाम्प एक्ट की धारा 39 के अनुसार सम्यक रूप से स्टाम्प न की गयी लिखते साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने का प्रावधान करती है। उक्त बाद में वादी ने भूखण्डों को मौखिक तौर पर खरीद करना बताया है जो विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है। जब खरीद करने की कोई लिखत ही नहीं है तो उनका सम्यक् रूप से स्टाम्पित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अतः वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 (1) (1-क) में लिखतों के अनिवार्य पंजीकरण का एवं प्रतिफल हेतु स्थावर संपत्ति के अंतरण करने की संविदा के पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। वादी द्वारा उक्त वाद मौखिक क्रय के आधार पर दायर किया गया है। मौखिक क्रय-विक्रय को किसी भी कानून द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गयी है। वादी का वाद न्यायालय का समय बर्बाद करने अनावश्यक मुकदमाबाजी को बढ़ाने के कारण भी इसी स्तर पर मय खर्चा खारिज किए जाने योग्य है।

वादी द्वारा दिनेश गुप्ता व शिवदयाल गुप्ता से मिलकर, साजिश कर भूखण्डों को मौखिक रूप से क्रय कर विवादित भूखण्डों की राशि पर स्टाम्प ड्यूटी न लगाने के कारण सरकारी राजस्व को हानि कारित की है जिसके लिए पृथक से फौजदारी कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना भी प्रतिवादीगण द्वारा की माननीय अदालत के समक्ष की जा रही है।

इस वादपत्र में शिवदयाल गुप्ता व दिनेश गुप्ता के द्वारा इकरारनामा (एग्रीमेंट दू सेल) की जो प्रति प्रस्तुत की है उसे देखने से स्पष्ट है, कि स्टाम्प अधिनियम के नियमों के मुताबिक खरीदशुदा भूखण्डों की मूल राशि पर 3 प्रतिशत के हिसाब से देय स्टाम्प की राशि नहीं दी गयी है जिन्हें भी इनसे वसूल किया जाना अति आवश्यक है तथा जिसके लिए संबंधित विभाग को वसूली हेतु लिखा जावे।

प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 27.10.2014 को दिनेश गुप्ता व शिवदयाल गुप्ता को एक पंजीकृत विधिक नोटिस देकर उनके द्वारा खरीदशुदा भूखण्डों की रजिस्ट्री करवाने हेतु लगातार
उपरोक्त आदेशों (राजस्व) श्रीमान् न्यायालय

प्रेषित किया था जिसका जवाब दिनांक 31.10.2014 को दिनेश गुप्ता द्वारा दिया गया जिसमें उक्त भूखण्डों को एक करोडा इकहतर लाख रूपए में खरीदना स्वीकार किया है तथा उक्त भूखण्डों की जमाबंदी लेने पर उक्त रकबा नगर विकास न्यास के नाम होना भी स्वीकार किया गया है। नोटिस की प्रति संलग्न वादपत्र है तथा इस मामले की जांच करने के लिए संबंधित विभाग को लिखा जावे।

वादी के द्वारा भी उक्त मौखिक तौर पर भूखण्ड खरीदने की राशि शिवदयाल गुप्ता व दिनेश गुप्ता को दी है यह राशि वादी के पास कहां से आयी इस मामले को संबंधित विभाग को प्रेषित करने की कार्यवाही की जावे ।।

अतः जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादपत्र को मय खर्चा इसी स्तर पर खारिज करने के आदेश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी।

प्रतिवादी द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली का अवलोकन किया जाकर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :-

1. आया कि वादी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद ग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?
-- वादी
2. आया कि वादी वाद ग्रस्त कृषि भूमि का खातेदार नहीं होने के कारण वाद प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है ?
-- प्रतिवादी
3. आया कि वाद ग्रस्त भूमि कृषि नहीं होने के कारण वाद दिवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है ?
-- प्रतिवादी
4. आया कि वाद ग्रस्त भूमि नगर विकास न्यास के नाम से दर्ज है इसलिये वाद नाकाबिल चलने के है ?
-- प्रतिवादी
5. आया कि वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण हासिल नहीं है ?
-- प्रतिवादी

6. अनुतोष ?

पत्रावली में कायम की गई उक्त तनकीयात को सिद्ध करने हेतु वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये प्रतिवादी के अधिवक्ता को जिरह हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर भी प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नहीं होने पर जिरह बन्द की जाकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 17.12.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस निर्धारित की गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस अपने वाद पत्र को दोहरते हुए वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किये जाने एवम् पत्रावली के अवलोकन करने के उपरान्त वादपत्र का निर्णय तनकीवार निम्नानुसार किया जाता है :-

1. तनकी नम्बर 1 को सिद्ध करने का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र एवम् दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि इकरारनामा के आधार पर विवादित आराजी के सम्बंध में स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है विवादित आराजी भी प्रतिवादीगण के नाम से ना होकर नगर विकास न्याय श्रीगंगानगर के नाम से होने के कारण तनकी नम्बर 1 का निर्णय वादी के विरुद्ध किया जाता है।
2. तनकी नम्बर 2 ता 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण तनकी नम्बर 2 ता 5 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

लगातार
राजस्व अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

(राजस्व वाद संख्या :- 118/2014 अनवान राजेन्द्र गुप्ता बनाम देवन्द्र कुमार)

..... 5

-:: आदेश ::-


वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करनें एवम् पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवम् दस्तावेजात के आधार पर पाया गया वादी द्वारा इकरारनामा के आधार पर विवादित आराजी के सम्बंध में स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है विवादित आराजी भी प्रतिवादीगण के नाम से ना होकर नगर विकास न्याय श्रीगंगानगर के नाम से होने के कारण वाद वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 92ए के अन्तर्गत पोषणीय नहीं पाये जाने पर वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 07.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।




(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदन् सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर